कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 591 /FP/UK/Others/155386/2022 देहरादूनःदिनांकः 30 अगस्त , 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः– जनपद–नैलीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्दूचौड में एन0एच0 87 एवं रेल पटरी के मध्य कियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के संबंध में।

सन्दर्भः–वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी का पत्रांक 243/12–1 दिनांक 17–08–2022 .

महोदय,

उक्त विषयक आपके माध्यम से प्रश्नगत का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव का कार्यालय द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नानुसार अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक हैः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–2 में हरियाली का घनत्व अंकित नहीं किया गया है।
2. प्रस्ताव में संलग्न स्थल निरीक्षण आख्या (SIR) के बिन्दु a व b पर सूचना अंकित नहीं की गई है और न ही प्रपत्र पर संस्तुति अंकित की गई है।
3. प्रस्तावित स्थल एन0एच0 एवं रेल पटरी के मध्य स्थित है, कृपया इस सम्बन्ध में एन0एच0 एवं रेलवे का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
4. प्रस्तावित प्रकरण एवं प्रस्ताव संख्या–155392/2022 से सम्बन्धित प्रस्ताव एक ही क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–2 के बिन्दु X में एक प्रकरण में हाथी रिजर्व होने का उल्लेख किया गया है कि किन्तु दूसरे प्रकरण में हाथी रिजर्व नही होने का उल्लेख किया गया है, स्थिति स्पष्ट करे।
5. प्रस्तावित स्थल हाथी रिजर्व होने की दशा में प्रस्ताव में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।
6. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–7में सी.डी. प्रेषित किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो उपलब्ध नही करायी गई है।
7. परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी को अपने स्तर से निर्देशित करते हुये कमियों का पूर्ण निराकरण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(एo केo गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्याः– 591 / FP/UK/Others/155386/2022दिनॉकित।

1. प्रतिलिपि :–प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर को उपरोक्त विषयक पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रतिलिपि :–अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण करने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं पूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(एo केo गुप्ता)
वन संरक्षक